राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर)

क्रमांक–एफ.18(239)/निजभूस/पीएमकेएसवाई 2.0/2022/281-394 दिनांकः– 28/04/2022

आदेश

पीएमकेएसवाई 2.0 (जलग्रहण घटक) योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार के भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, द्वारा जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नवीन मार्गदर्शिका जारी की गई है। मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 10.1 के अनुसार प्रत्येक जिले में जलग्रहण परियोजनाओं के संचालन हेतु एक कार्यकारी संस्था वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (WCDC) होगा।

इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से पूर्व में जारी आदेश एफ18(I–4)/IWMP/निजभूस/2012/1713–1837 दिनांक 21.02.2013 को संशोधित कर योजना की नवीन मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 10.1.2 के अनुसार संबंधित जिला कलक्टर को जिलास्तर पर स्थापित वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (WCDC) का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् को वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (WCDC) का उपाध्यक्ष एवं अधीक्षण अभियंता, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण को पदेन परियोजना प्रबंधक (WCDC) घोषित किया जाता है। WCDC के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं परियोजना प्रबंधक जिले में पीएमकेएसवाई 2.0 (जलग्रहण घटक) जलग्रहण परियोजनाओं के संचालन में समन्वय, अन्य योजनाओ से अभिसरण करवाना तथा योजना की समय–समय पर मोनिटरिंग एवं समीक्षा करने का दायित्व होगा।

वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (WCDC) की समस्त प्रशासनिक एवं कार्यकारी जिम्मेदारियां जिला स्तर पर पदस्थ अधीक्षण अभियंता, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण पदेन परियोजना प्रबंधक (WCDC) में निहित होगी।

जिलास्तर पर कार्यरत लाइन विभागों यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्य, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, वन विभाग, राजीविका, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी WCDC की समीक्षा बैठकों में सदस्य के रूप में भाग लेंगे। तकनीकी एवं वैज्ञानिक सलाह हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञो की सेवाएं ली जा सकती है।

जिले में वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (WCDC) के निम्नलिखित दायित्व/कार्य होंगे :–

1. राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं एस.एल.एन.ए. (State Level Nodal Agency) के निर्णयानुसार पी.आई.ए. की नियुक्ति करना।
2. जलग्रहण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु व्यूह रचना एवं वार्षिक कार्य ग्रोजना तैयार करना।
3. जलग्रहण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्लानिंग में पी.आई.ए. को प्रशासनिक/प्रबन्धकीय मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. परियोजना प्रस्तावों को एस.एल.एन.ए. में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।
5. परियोजनओं में क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कनर्वजेन्स के लिए संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वयन स्थापित करना।
6. परियोजनाओं के विकास के लिये तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिये जिले में एवं नजदीकी जिलों की वैज्ञानिक संस्थाओं/संगठनों की सहायता लेना।
7. परियोजना कार्यो से जुड़े लोगो एवं समुदाय आधारित संगठनों की क्षमता निर्माण (Capacity Building) हेतु कार्य योजना तैयार करना।

8. परियोजनाओं का आर्थिक, समानता एवं परिस्थितिकी के आधार पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित समीक्षा, मूल्यांकन और गुणवत्ता युक्त कार्यो का संपादन करना।
9. पी.आई.ए. डब्ल्यू.सी. एवं अन्य जिनके भुगतान किये जाने है को बजट प्रावधानो के अनुसार निधियो की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
10. जिले में जलग्रहण परियोजनाओं का डेटा तैयार कर District Data Cell की स्थापना करना तथा इसे राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर से लिंक करना।
11. जिले की आयोजना समिति द्वारा तैयार की जाने वाली जिला कार्य योजना में जलग्रहण विकास परियोजनाओं की कार्य योजनाओं को शामिल करवाना।
12. पंचायतीराज संस्थाओं के तीनों स्तरो (जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत) की बैठको में भाग लेकर जलग्रहण विकास परियोजनाओ की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना एवं प्रगति से अवगत कराना।
13. जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठको में सक्रियता से भाग लेकर जलग्रहण विकास परियोजनाओ की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना एवं प्रगति से अवगत कराना तथा सदस्यो द्वारा दिये गये सुझावो की पालना करना।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रा.वि. एवं पं.राज

क्रमांक–एफ.18(239)/निजभूस/पीएमकेएसवाई 2.0/2022 /281-394 दिनांकः– 28/04/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, निदेशालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी, समस्त।
6. अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय/आईडब्ल्यूएमपी, निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं उपाध्यक्ष,डब्ल्यूसीडीसी।
9. समस्त संयुक्त निदेशक निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर।
11. संयुक्त निदेशक, एमआईएस, निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट के पीएमकेएसवाई 2.0 (जलग्रहण घटक) लिंक अन्तर्गत उक्त आदेश को अपलोड करने का श्रम करावें।
12. समस्त अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।

निदेशक